

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
—0—

क्रमांक 637/208/2022/स्था./चार

नवा रायपुर, दिनांक 15/06/2022

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

विषय :- राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मंडलों/सार्वजनिक उपक्रम/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में पदस्थ कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में।

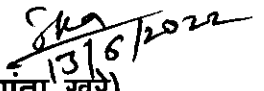
संदर्भ :- उच्च शिक्षा विभाग का यू0ओ0 क्रमांक 32, दिनांक 28.01.2022

—0—

वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के (वित्त निर्देश 56/2012) परिपत्र क्रमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012, दिनांक 01 अगस्त, 2012 द्वारा राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में दिनांक 01.04.2012 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था।

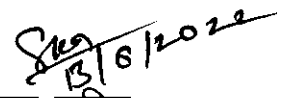
2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर के कर्मचारियों हेतु उपरोक्त उल्लिखित योजना दिनांक 01.04.2012 के स्थान पर दिनांक 02.09.2008 से लागू माना जावे। इस हेतु पूर्व अवधि का अंशदान सी.आर.ए. सिस्टम में "एरियर" के रूप में शामिल किया जायेगा एवं इस अंशदान की मासिक प्रविष्टि आवश्यक होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(शांता खरे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/वित्त विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
3. कलेक्टर, जिला-बस्तर
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा/संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
5. कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (धरमपुरा) जिला-बस्तर, छ0ग0
6. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन जगदलपुर
7. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/जिला कोषालय बस्तर
8. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, अटल नगर नवा रायपुर की ओर वेबसाईट में दर्ज करने हेतु


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग